उपायुक्त का कार्यालय(गोपनीय शाखा), धनबाद।

आदेश

सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान करना अपराध है। उल्लेखनीय है कि धुम्रपान से मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है इसलिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के धारा (4) के अनुसार सभी सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान करना निषेध है, लेकिन अभी भी आम जनता जानकारी और कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के अभाव में सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान करते है।

जिले के सभी सार्वजनिक स्थलों यथा–बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, मनोरंजन केन्द्र, पुस्तकालय, शापिंग मॉल, कॉफी हाउस, न्यायालय परिसर, सभाकक्ष, प्रतिक्षालय, टी स्टॉल, मिष्ठान भंडार, ढाबा, सभी सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय, सभी सरकारी/गैर सरकारी शैक्षिणिक संस्थान, सभी सरकारी/गैर सरकारी स्वास्थ केन्द्र/अस्पताल, सिनेमा हॉल, होटल/ रेस्टोरेन्ट, पंचायत भवन, चौक एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान प्रतिबंधित है। यदि सार्वजनिक स्थानों पर कोई व्यक्ति धुम्रपान करते पाया जाता है तो भारतीय तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम, 2003 की धारा 4 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, अल्लंधनकर्त्ता को रूपये 200/–तक जुर्माना किया जाएगा। बोर्ड का प्रारूप निम्नांकित है :–

अतः चालान के द्वारा अधिकतम 200 रू0 तक दंड की व्यवस्था के सुचारू रूप से कार्यान्वियन के लिए सभी अधिकृत पदाधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि अपने–अपने कार्य क्षेत्र में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के धारा (4) के तहत उल्लंधन करने वाले को 200 रूपये

तक दंडित करना एवं सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान निषेध का बोर्ड लगवाना सुनिंचित करेंगे। साथ में प्रत्येक महिने के प्रथम सप्ताह में उक्त कार्यवाही का प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को देना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी प्रकार की त्रुटि पाई गयी तो इसके लिए संबंधित अधिकारी उत्तरदायी रहेंगे।

यह आदेश तत्कालीक प्रभाव से लागू होगा।

सo/-
उपायुक्त, धनबाद।

ज्ञापांक 353/गो0 / धनबाद, दिनांक 20/02/2014

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त, धनबाद / निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्व नियोजन, धनबाद / सभी चिकित्सा पदाधिकारी प्रखंड स्वाथ्य केन्द्र, जिला धनबाद / अधीक्षक, पी0एम0सी0एच0, धनबाद / जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, धनबाद / सभी अनुमंडल पदाधिकारी, धनबाद / सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, धनबाद / जिला शिक्षा पदाधिकारी, धनबाद / सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, धनबाद / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, धनबाद / सभी सी0डी0पी0ओ0, धनबाद / श्रम अधीक्षक, धनबाद / पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), धनबाद / जिला नोडल पदाधिकारी, तम्बाकु नियंत्रण, धनबाद / असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, धनबाद एवं पुलिस अधीक्षक, धनबाद को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला जनसर्म्पक पदाधिकारी, धनबाद को निदेशित किया जाता हैं कि इस आदेश को जिला स्तर पर विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार–प्रसार कराना और समाहरणालय परिसर एवं अन्य सार्वजनिक स्थानो पर इस आशय का बोर्ड / होर्डिग लगवाना सुनिश्चित करेंगें।

प्रतिलिपि : श्री दीपक मिश्रा, कार्यपालक निदेशक, Socio Economic and Educational Develpment Society एवं श्री प्रणय लाल, तकनीकी सलाहकार International Union Against Tuberculosis & Lungs Disease (The Union), New Delhi को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि : राज्य नोडल पदाधिकारी, राज्य एन0सी0डी0 सेल, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अभियान निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, स्वा0चि0 एवं शि0 प0क0 विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

20/02/14
उपायुक्त, धनबाद।